उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में

2009 की रिट याचिका संख्या 745 (एम/एस)

अनिल कुमार जैन व एक अन्य...याचिकाकर्तागण

बनाम

टीएचडीसी ;टिहरी पनबिजली विकास निगम

व अन्य.... उत्तरदाता

मौजूदाःयाचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री एमण् सीण् बंसल।

श्री आरण् सीण् आर्य राज्य के लिए स्थायी वकील प्रतिवादी संख्या 2 और 3

श्री शोभित सहारिया टी0 एच0 डी0 सी0/ प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता

माननीय आलोक सिंह जे0 (मौखिक)

1. मौजूदा याचिका शिकायत निवारण मंच टिहरी बांध परियोजना नई टिहरी द्वारा पारित दिनांक 21.01.2009 के आदेश पर आरोप लगाते हुए दायर की गई है जिसका गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2007 के जारी निर्देश के अनुसार किया गया था जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और कलेक्टर टिहरी गढ़वाल के पद के एक के अनुसारवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी शामिल थे।
2. निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता गाँव खंड पट्टी अथुर जिला टिहरी गढ़वाल से विस्थापित व्यक्ति हैं निर्विवाद रूप सेए याचिकाकर्ताओं के अन्य सह.मालिक सुरेश चंद अरविंद कुमार और परविंद कुमार पुत्रगण श्री भीम सेन और गुमंद दास पुत्र मुक्तियान सिंह प्रत्येक को 200 वर्ग किलोमीटर के आवासीय भूखंड वर्ष 2004 में प्रदान किए गए थे। हालाँकि याचिकाकर्ताओं को आवासीय भूखंडों के आवंटन से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि निदेशक के आदेश पुनर्वास दिनांक 7.5. 2007 के अनुसार 1995 की अवधि से पहले का कोई भी मामला फिर से नहीं खोला जाएगा। व्यथित महसूस करते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. यदि अन्य सह.मालिकों को 200 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंड प्रदान किए गए थे। याचिकाकर्ताओं को किसी भी सरकारी आदेश के तहत इसके लिए वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए अनुचित भेदभाव के बराबर होगा। निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ताओं को अन्य सह.मालिकों के साथ समान रूप से रखा गया है जिन्हें आवासीय भूखंड प्रदान किए गए थे।

4. नतीजन आक्षेपित आदेश कानून की नजर में कायम नहीं रहती है। एतद्वारा रिट याचिका की स्वीकार की जाती है। दिनांकित 21.1.2009 का आक्षेपित आदेश इसके द्वारा अभिखंडित कर दिया जाता है। मामला कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए शिकायत निवारण मंच को अधिमानतः इस आदेश की प्रति शिकायत निवारण मंच के समक्ष पेश किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर भेजा जाता है।

(आलोक सिंह जे0)

02.06.2014

अवनीत।